अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–16/2016

रामचन्द्र जयसवाल वगै0 बनाम जतु मुण्डा एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

21/4/2023

इस वाद की कार्रवाई आवेदक रामचन्द्र जयसवाल, पिता–स्व0 झरी साव वगै0, ग्राम–सौदागर मुहल्ला, थाना–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद 27/12–13 जतु मुण्डा बनाम् रामचन्द्र जयसवाल एवं अन्य में दिनांक–25.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील के आलोक में यह वाद प्रारम्भ की गयी। उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत कर, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलवाद में भूमि की विवरणी निम्न है :–

क्र0सं0	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	रामगढ़	06	2961	0.20 1/2
			कुल–	0.20 1/2

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित किया गया है कि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2961, रकवा–0.28 एकड़ भूमि खतियानी रैयत अकलु मण्डा द्वारा दिनांक–15.06.1944 को मोहन साव, बिन्देश्वर साव, हरी साव एवं झरी साव के पक्ष में दर रैयती पट्टा किया गया था। उपरोक्त रैयतों द्वारा पट्टा प्राप्त होने के पश्चात् पूर्व में कच्चा मकान एवं उनके वंशज द्वारा Cantonment Board से NOC प्राप्त कर लगभग 10,00,000.00 (दस लाख) रू0 का पक्का मकान बनाया गया। पट्टा प्राप्त रैयत अपीलार्थी द्वारा Cantonment Board को रेन्ट भुगतान किया जाता है। अपीलार्थी का प्रश्नगत् भूमि पर लगभग 70 वर्षों से दखल–कब्जा है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा भी प्रश्नगत् भूमि के संबंध में लगभग 20–25 वर्षों से अपीलार्थी का कब्जा व मकान होना प्रतिवेदित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत् भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2961, रकवा–0.20 1/2 एकड़ के संदर्भ में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि–विरूद्ध मानते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारीज करने का अनुरोध किया गया।

विषयगत वाद में दिनांक–14.12.2022 को मध्यक्षेपक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी जतु मुण्डा द्वारा गलत व्यक्ति रामचन्द्र जयसवाल वगै0, जिसका प्रश्नगत् भूमि से कोई सरोकार नहीं है, के विरूद्ध निम्न न्यायालय में भू–वापसी आवेदन दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद सं0–27/2012–13 चलाया गया एवं दिनांक– 25.07.2016 को प्रश्नगत् भूमि के लिए भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है। रामचन्द्र जयसवाल व अन्य द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा

पारित आदेश के विरूद्ध भवदीय न्यायालय में भू–वापसी आवेदन दायर किया गया। फलस्वरूप भवदीय द्वारा भू–वापसी अपील वाद सं0–16/2016 के तहत् वर्तमान कार्रवाई की जा रही है।

मध्यक्षेपक को कुछ सप्ताह पूर्व इस तथ्य की जानकारी होने के बाद कि जतु मुण्डा के आवेदन पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा गलत व्यक्ति के विरूद्ध भू–वापसी आदेश पारित किया गया है, मध्यक्षेपक द्वारा यह आवेदन भवदीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे भवदीय द्वारा स्वीकृत किया गया है। मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत् भूमि के संबंध में बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, रकवा–0.28 ए0 से संबंधित है, जिसके खतियानी रैयत अकलु मुण्डा है। प्रश्नगत् भूमि की अदला–बदली आवेदक एवं विपक्षी के पूर्वज द्वारा वैध तरीके से किया गया है।

विपक्षी की पूर्वज मुन्द्रिका देवी द्वारा निबंधित केवाला सं0–754, दिनांक–16.04.1940 के माध्यम से खाता सं0–59 के प्लॉट सं0–303, रकवा–04 डी0 एवं प्लॉट सं0–304 के 27 डी0 जमीन डोमन साव एवं कारू साव से क्रय किया गया। साथ ही मुन्द्रिका देवी द्वारा खाता सं0–59 के प्लॉट सं0–2962, रकवा–05 डी0 भूमि अनिबंधित डीड से 85 रू0 में क्रय किया गया। इस प्रकार मुन्द्रिका देवी द्वारा डोमन साहु एवं कारू साव से खाता सं0–29 के प्लॉट सं0–303, 304 एवं 2961 के माध्यम से क्रमशः 04 डी0, 27 डी0 एवं 05 डी0 भूमि क्रय किया गया।

खाता सं0–2961 एवं 2962 अगल–बगल में होने के कारण मुन्द्रिका देवी द्वारा खाता सं0–59 के प्लॉट सं0–303 व 304, रकवा–04 डी0+27 डी0=31 डी0 भूमि को अकलु मुण्डा की खतियानी भूमि खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, रकवा–28 डी0 के साथ अदला–बदली करने का प्रस्ताव दिया गया। जिसे अकलु मुण्डा द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक–25.05.1943 को मुन्द्रिका देवी एवं अकलु मुण्डा द्वारा बदलैन का कागजात तैयार किया गया एवं मुन्द्रिका देवी द्वारा खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, रकवा–28 डी0 पर एवं अकलु मुण्डा खाता सं0–59, प्लॉट सं0–303, 304, रकवा क्रमशः 04 डी0 एवं 27 डी0, कुल रकवा–31 डी0 पर दखलकार हुए। बदलैन कागजात के आधार पर मुन्द्रिका देवी के नाम पंजी–II में खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, रकवा–28 डी0 की जमाबंदी खोली गयी। मुन्द्रिका देवी अपने पीछे दो पुत्र शिवचरण प्रसाद जयसवाल एवं लक्ष्मी जयसवाल को छोड़कर फौत कर गए।

बंटवारा में उक्त वर्णित भूमि शिवचरण प्रसाद जयसवाल को प्राप्त हुआ। शिवचरण प्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय पक्का मकान बना कर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। वर्तमान में उक्त आवास पर शिवचरण प्रसाद अग्रवाल के तीन पुत्र 1. मनोज जयसवाल, 2. दिनेश जयसवाल, 3. विक्की जयसवाल में दिनेश जयसवाल एवं विक्की जयसवाल के दखल–कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि के खतियानी रैयत अकलु मुण्डा नावल्द फौत कर गए। विपक्षी जतु मुण्डा, अकलु मुण्डा के वैध उत्तराधिकारी नहीं हैं।

मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित बदलैन का सादा कागज, लगान रसीद एवं मकान का फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए मध्यक्षेपक के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बताया गया कि विपक्षी द्वारा लंबे समय से वाद की कार्रवाई में अभिरूची नहीं ली जा रही है। पूर्व में विषयगत् वाद में प्रश्नगत् भूमि से संबंधित लिखित जवाब न्यायालय में दिनांक–11.10.2018 को दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, लिखित जवाब व अन्य कागजातों के आधार पर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में दाखिल लिखित जवाब व पूर्व पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, सर्वे खतियान में अकलु मुण्डा व सोमरा मुण्डा, पिता–रूप मुण्डा के नाम दर्ज है, जो विपक्षी के परदादा है। विपक्षी जाति के मुण्डा हैं, जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06 की कुल खतियानी भूमि रकवा 8.80 एकड़ है, जिसकी सरकारी रसीद खतियानी रैयत के नाम से निर्गत है। मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2961, रकवा–0.28 एकड़ मध्ये रकवा–0.20 1/2 एकड़ भूमि अपीलार्थी द्वारा 5–6 वर्षों से जबरन कब्जा कर लिए हैं। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46–4(ए) का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि मोहन साव व अन्य प्रश्नगत भूमि के दर रैयत हैं। जिसे दर रैयत पट्टा के आधार पर दिनांक–15.06.1944 को निष्पादित किया गया है। पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Cantonment प्राप्ति रसीद आदिवासी भूमि होने के Right Title को साबित नहीं करता है।

अतः द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखते हुए, अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत् वाद में अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–रामगढ़, थाना–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, कुल रकवा–0.20 1/2 एकड़ भूमि का खतियान उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि गैर आदिवासी रैयत को अकलु मुण्डा, शोना राम मुण्डा वल्द रूप मुण्डा को एकरारनामा के द्वारा प्राप्त है। विवादित भूमि पर वर्तमान में मकान है। विपक्षी उक्त भूमि में लगभग 20–25 वर्षों से बेदखल हैं। अतः भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह अंकित किया गया है कि मौजा–रामगढ़, थाना–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2962, कुल रकवा–0.20 1/2 एकड़ भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। विवादित भूमि गैर आदिवासी रैयत अकलु मुण्डा, शोना राम मुण्डा वल्द रूप मुण्डा से सादा एकरारनामा के द्वारा प्राप्त करने का दावा करते हैं, जो निबंधित नहीं है। विवादित भूमि पर वर्तमान में मकान है। विपक्षी उक्त भूमि पर लगभग 25–25 वर्षों से बेदखल हैं। अंचल अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में प्रथम पक्ष के जमाबंदी का जिक्र नहीं किया है

और ना ही प्रथम पक्ष के द्वारा जमाबंदी संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है। खतियान की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–रामगढ़ का खाता सं0–06 आदिवासी खाते की भूमि है, लेकिन गैर आदिवासी के पास भी भूमि से संबंधित कोई भी वैध कागजात नहीं है, जिससे आदिवासी भूमि का वैध हस्तांतरण का पता चला। आवेदक फर्जी कागजात के आधार पर आदिवासी भूमि पर बाजबरन कब्जा किये हुए हैं। अर्थात आदिवासी भूमि का गलत तरीके से गैर आदिवासी को भूमि का हस्तांतरण हुआ प्रतीत होता है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) का उल्लंघन है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) के तहत् आवेदित भूमि से द्वितीय पक्ष को भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–06, प्लॉट सं0–2961, रकवा–0.28 एकड़ के खतियानी रैयत अकलु मुण्डा व अन्य है, जो आदिवासी श्रेणी में आते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि दर पट्टा के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं, जबकि मध्यक्षेपक द्वारा प्रश्नगत भूमि बदलैन के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं। C.N.T Act में बदलैन का कोई प्रावधान नहीं है।

अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि से 20–25 वर्षों से बेदखल हैं एवं अपीलार्थी का मकान बना हुआ है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक मे प्रश्नगत भूमि पर भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कागजातों आदि के अनुशीलन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश–फलक में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का मकान है एवं आदिवासी रैयत–20–25 वर्षो से बेदखल हैं दूसरी ओर निम्न न्यायलय द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् भू–वापसी का आदेश परित किया गया है। यह आपस में विरोधाभाषी है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लंबी अवधि से जमाबंदी व दखल का दावा किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विषयगत मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जिसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकतें है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2023.07.02 18:41:11 +05:30
Location: 192.168.200.119

27/4/2023

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

27/4/2023

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।